न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 55/2012

मकसूदबानो उम्र 65 साल पुत्री अब्दुल करीम खां उर्फ अब्दुल कादर खां, पत्नी इरसाद खां, जाति कायमखानी, निवासी जाबासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. मृतक इलायक खा उर्फ लायक अली, पुत्र अब्दुल करीम खां उर्फ कादर खां जाति कायमखानी, निवासी क्यामसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
1/1.जरीना बानो उम्र 60 वर्ष पुत्री लायक अली उर्फ इलायक अली जाति कायमखानी, निवासी क्यामसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
1/2जमीला बानो उम्र 55 वर्ष पुत्री लायक अली उर्फ इलायक अली जाति कायमखानी, निवासी क्यामसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
1/3मो0 अयूब उम्र 52 वर्ष पुत्र लायक अली उर्फ इलायक अली जाति कायमखानी, निवासी क्यामसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
1/4अनवरहुसैन खां उम्र 50 वर्ष पुत्र लायक अली उर्फ इलायक अली जाति कायमखानी, निवासी क्यामसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
1/5 सजादहुसैनउम्र 48 वर्ष पुत्र लायक अली उर्फ इलायक अली जाति कायमखानी, निवासी क्यामसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
1/6समजीदाबानो उम्र 46 वर्ष पुत्री लायक अली उर्फ इलायक अली जाति कायमखानी, निवासी क्यामसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
1/7सजीदाबानों उम्र 45 वर्ष पुत्र लायक अली उर्फ इलायक अली जाति कायमखानी, निवासी क्यामसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
2. मंजूर अहमद आयु 40वर्ष पुत्र मोहिदीन जाति कायमखानी, निवासी क्यामसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
3. मो0 रफीक आयु 38 वर्ष पुत्र मोहिदीन जाति कायमखानी, निवासी क्यामसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
4. मो0 हुसैन उम्र 34 वर्ष पुत्र मोहिदीन जाति कायमखानी, निवासी क्यामसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।
6. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, झुंझुनू।
7. राजस्थान सरकार, जरिये नायब तहसीलदार मलसीसर।

– रेस्पोडेन्टस

५१
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर
आदेश दिनांक 01.06.1989 बाबत अनुबंध द्वारा
विभाजन व डिक्री, इलायक खां आदि।

उपस्थितिः–

1 .श्री विनोद गिल, एडवोकेट ———— ——— – ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विनोद महरिया,एडवोकेट——————————रेस्पोंडेंट नबर 1 की ओर से।
3. श्री विजयपाल एडवोकेट————————रेस्पोडेंट नं0 2 से 4 की ओर से।
4. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————————राज0 राज्य की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 23.12.2019

उक्त अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर आदेश दिनांक 01.06.1989 बाबत अनुबंध द्वारा विभाजन व डिक्री, इलायक खां आदि के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का पिता तथा रेस्पोडेंट नंबर 2,3,4 का दादा अब्दूल करीम खा उफर्म अब्दुल कादरखां था जिसकी खातेदारी की भूमि गत खसरा नंबर 117 रकबा 7 बीघा 18 विश्वा, खसरा नंबर 185 रकबा 10 बीघा 9 विश्वा, खसरा नंबर 188 10 बीघा, खसरा नंबर 183 रकबा 31 बीघा 11 विश्वा, खसरा नंबर 568 मीन रकबा 7 बीघा खसरा नंबर 568 मीन रकबा 9 बीघा 10 विश्वा, खसरा नंबर 570 रकबा 01 बीघा 6 विश्वा, खसरा नंबर 530 रकबा 6 बीघा 1 विश्वा, खसरा नंबर 531 रकबा 5 बीघा 14 विश्वा, खसरा नंबर 549/2 रकबा 42 बीघा 11 विश्वा, खसरा नंबर 611/531 रकबा 2 बीघा 15 विश्वा कुल किता 11 रकबा 134 बीघा 15 विश्वा जिसके हाल खसरा नंबर 15 रकबा 4.85 हैक्टर, खसरा नंबर 16 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 17 रकबा 2.73 हैक्टर, खसरा नंबर 19 रकबा 1.32 हैक्टर, खसरा नंबर 20 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नंबर 21 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नंबर 34 रकबा 2.53 हैक्टर, खसरा नंबर 72 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नंबर 299 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 308 रकबा 5.37 हैक्टर, खसरा नंबर 302 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 303 रकबा 5.36 हैक्टर, खसरा नंबर 237 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नंबर 328 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नंबर 329 रकबा 030 हैक्टर, खसरा नंबर 330 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नंबर 343 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 347 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा नंबर 346

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

रकबा 1.77 हैक्टर तथा खसरा नंबर 348 रकबा 1.26 हैक्टर बने। अब्दुल करीम खां उर्फ अब्दुल कादर खां की वंशावली दर्ज कर निवेदन किया कि अपील की मद संख्या–1 में वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा अपीलार्थीया का तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट नंबर 2, 3, 4, का सामुहिक रूप से बनता है। उक्त भूमि में अपीलार्थीया रेंस्पोडेंटस नंबर 1 लगायत 4 के साथ 1/3 हिस्से की सह खातेदार है। उक्त भूमि बाबत दिनांक 1.6.1989 को रेस्पोडेंट नंबर 1 लगायत 4 ने साज करके अनुबंध द्वारा नायब तहसीलदार मलसीसर के यहां दावा डिक्री करवा लिया तथा पालना के लिये तहसीलदार झुंझुनू को पत्र क्रमांक 1646 द्वारा प्रेषित कर दिया जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के मध्य उक्त भूमि का विभाजन हो गया। जबकि अपीलार्थीया भी मृतक अब्दल करीम खां उर्फ अब्दुल कादर खां की वारिस है। इस तथ्य को रेस्पोडेंट नं0 1 लगायत 4 ने छुपाकर उक्त निर्णय प्राप्त किया जो काबिले निरस्त है। अदालत मातहत का निर्णय एक पक्षीय है। अपीलार्थीया अब्दुल करीम खां उर्फ अब्दुल कादर खां की वारिस होने से 1/3 हिस्से की उत्तराधिकारी है। उक्त अनुबंध में अपीलार्थीया को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलार्थीया आवश्यक पक्षकार थी। प्रकरण अचल संपति से संबंधित है। अपीलार्थीया का 1/3 हिस्सा बनता है। उक्त निर्णय अदालत मातहत प्रभाव में रहने से अपीलार्थीया गंभीर रूप से प्रभावित है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अनुबंध अदालत मातहत व उसके आधार पर पारित डिक्री दिनांक 1.6.1989 निरस्त की जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– अपील के पैरा नंबर 1 में अंकित भूमि में 1/3 हिस्सा अपीलार्थीया का तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट नंबर 2, 3, 4, का सामुहिक रूप से बनता है। उक्त भूमि में अपीलार्थीया रेंस्पोडेंटस नंबर 1 लगायत 4 के साथ 1/3 हिस्से की सह खातेदार है। उक्त भूमि बाबत दिनांक 01.6.1989 को रेस्पोडेंट नंबर 1 लगायत 4 ने साज करके अनुबंध द्वारा

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

नायब तहसीलदार मलसीसर के यहां दावा डिक्री करवा लिया तथा पालना के लिये तहसीलदार झुंझुनू को पत्र कमांक 1646 द्वारा प्रेषित कर दिया जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के मध्य उक्त भूमि का विभाजन हो गया। जबकि अपीलार्थीया भी मृतक अब्दल करीम खां उर्फ अब्दुल कादर खां की वारिस है। इस तथ्य को रेस्पोडेंट नं0 1 लगायत 4 ने छुपाकर उक्त निर्णय प्राप्त किया जो काबिले निरस्त है। अदालत मातहत का निर्णय एक पक्षीय है। अपीलार्थीया अब्दुल करीम खां उर्फ अब्दुल कादर खां की वारिस होने से 1/3 हिस्से की उत्तराधिकारी है। उक्त अनुबंध में अपीलार्थीया को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलार्थीया आवश्यक पक्षकार थी। प्रकरण अचल सम्पति से संबंधित है। अपीलार्थीया का 1/3 हिस्सा बनता है। उक्त निर्णय अदालत मातहत प्रभाव में रहने से अपीलार्थीया गंभीर रूप से प्रभावित है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अनुबंध अदालत मातहत व उसके आधार पर पारित डिक्री दिनांक 1.6.1989 निरस्त की जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत खातेदारान की सहमति से विभाजन के उपरान्त नामांतरकरण तस्दीक किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपील के पैरा नंबर 1 में अंकित भूमि में 1/3 हिस्सा अपीलार्थीया का तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट नंबर 2, 3, 4, का सामुहिक रूप से बनता है। उक्त भूमि में अपीलार्थीया रेंस्पोडेंटस नंबर 1 लगायत 4 के साथ 1/3 हिस्से की सह खातेदार है। उक्त भूमि बाबत दिनांक 01.6.1989 को रेस्पोडेंट नंबर 1 लगायत 4 ने साज करके अनुबंध द्वारा नायब तहसीलदार मलसीसर के यहां दावा डिक्री करवा लिया तथा पालना के लिये तहसीलदार झुंझुनू को पत्र कमांक 1646 द्वारा प्रेषित कर दिया जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के मध्य उक्त भूमि का विभाजन हो गया। जबकि अपीलार्थीया भी मृतक अब्दल करीम खां उर्फ अब्दुल कादर खां की वारिस है। इस तथ्य को रेस्पोडेंट नं0 1 लगायत 4 ने छुपाकर उक्त निर्णय प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलार्थीया भी मृतक अब्दल

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

करीम खां उर्फ अब्दुल कादर खां की वारिस होने के कारण विवादित भूमि में 1/3 हिस्से की सह खातेदार है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.1989 बाबत अनुबंध द्वारा विभाजन एवं उसके आधार पर पारित डिक्री इलायक खां आदि निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि के संबंध में मृतक अब्दल करीम खां उर्फ अब्दुल कादर खां के विधिक वारिसान की जांच कर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विभाजन के संबंध में पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.01.08 17:38:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: